# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 74/2024

अनवान : –

1. कमला पुत्री गीता पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर हाल लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

**–प्रार्थी**

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**– अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती**
**अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट**

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

**निर्णय** दिनांकः 06/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 18/15 की कुल 1.6690 हैक्ट भूमि में से 1/35 हिस्सा भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 15.1750 हैक्ट भूमि मे 3503/531125 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 18/15 की कुल 1.6690 हैक्ट भूमि में से 1/35 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम सहवन से गुडडी पुत्री गीता दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ है प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम कमला पुत्री गीता पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी पाण्डुसर है जो की प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गुडडी पुत्री गीता के स्थान पर कमला पुत्री गीता पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी पाण्डूसर दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ... करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 18/15 की कुल 1.6690 हैक्ट भूमि में से 1/35 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम सहवन से गुडडी पुत्री गीता दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ है प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम कमला पुत्री गीता पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी पाण्डुसर है जो की प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में दर्ज है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम गुडडी पुत्री गीता के स्थान पर कमला पुत्री गीता पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 18/15 की कुल 1.6690 हैक्ट भूमि में से 1/35 हिस्सा भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 3.5030 हैक्ट भूमि मे 100/3503 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया अपना नाम गुडडी पुत्री गीता है जबकि प्राथीया के दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम कमला पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी पाण्डुसर दर्ज अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 18/15 की कुल 1.6690 हैक्ट भूमि में से 1/35 हिस्सा भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 3.5030 हैक्ट भूमि मे 100/3503 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातो में प्रार्थीया का नाम गुडी पुत्री गीता **के स्थान पर गुडी उर्फ कमला पुत्री गीता पत्नी कृष्ण कुमार का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

**(पंकज गढ़वाल R.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:13 IST
Reason: SelfAttested

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2025 / 253 दिनांक : 06/03/25

**तहसीलदार,**
**नोहर।**

विषय :— प्रकरण स0 74 / 2024 अनवानी कमला बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 74 / 2024
अनवान : —

1. कमला पुत्री गीता पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर हाल लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

**—प्रार्थी**

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**— अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136**
**भू—राजस्व अधिनियम 1956**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 18 / 15 की कुल 1.6690 हैक्ट भूमि में से 1 / 35 हिस्सा भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 3 / 2 की कुल 3.5030 हैक्ट भूमि मे 100 / 3503 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातो में प्रार्थीया का नाम **गुडी पुत्री गीता के स्थान पर गुडी उर्फ कमला पुत्री गीता पत्नी कृष्ण कुमार का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:13 IST
Reason: SelfAttested